

मो० सोहैल, भा०प्र०से०, जिलाधिकारी, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक- 10/03/2017 को 2:00 बजे अपराह्न में समाहरणालय, सभा कक्ष, मधेपुरा में दिनांक- 22/03/2017 को "बिहार दिवस" सफलतापूर्वक मनाने हेतु आहूत बैठक की कार्यवाही-

01. उपस्थिति- पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम जिलाधिकारी के द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया गया। दिनांक 22 मार्च, 2017 को "बिहार दिवस" सफलतापूर्वक मनाने हेतु पूर्व की बैठक की कार्यवाही की प्रति पढ़कर सुनाई गई एवं निर्धारित कार्यक्रम पर अपना- अपना अभिमत देने हेतु सदस्यों से आग्रह किया गया। उपस्थित सदस्यों को यह भी बताया गया कि 2012 में बिहार का 100 वॉ वर्षगांठ मनाया गया था, इस कारण तीन दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कराने का सरकार का निदेश प्राप्त हुआ था। इस वर्ष एक दिन का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

02 (क) सर्वप्रथम दिनांक 22 मार्च, 2017 को जिलान्तर्गत सभी प्राथमिक /माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाली जाय, जिसमें बिहार के गौरव को बढ़ाने वाले नारे लगाये जाएंगे। इसमें शहीदों की स्मृतियों, स्वतंत्रता सेनानियों के आदर्शों, बिहार के ऐतिहासिक धरोहरों एवं उसकी उपलब्धियों तथा आधुनिक बिहार के विकास का गौरव गान किया जायेगा।

(अनुपालन- जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।)

(ख) तदोपरान्त शहर / गाँव में सभी पदाधिकारी/आम नागरिक श्रमदान से अपने- अपने क्षेत्र में सड़कों की सफाई अभियान झाड़ू लगाकर किया जाएगा। सभी सरकारी कार्यालयों में वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा के सहयोग से बृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

(अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अंचल अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा एवं नगर पंचायत, मुरलीगंज/ वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा।)

(ग) सायंकाल में सभी प्रखंडों/अंचलों में किसी सार्वजनिक स्थल पर 105 दीप जलाकर लोक संगीत यथा- फगुआ, चैता, विद्यापति के गीत आदि का आयोजन किया जाएगा। संगीत, नाटक/नुक्कड़ नाटक आदि का भी आयोजन कर सकते हैं। नाटक/नुक्कड़ का विषय वस्तु भ्रष्टाचार, बाल विवाह एवं मद्य निषेध, जाति प्रथा का उन्मूलन एवं साम्प्रदायिक सौहार्द, विभाजन पूर्व बिहार का परिदृश्य एवं विभाजन पश्चात् बिहार की विरासत जैसे विषय होंगे। इसके लिए आमजन को भी जानकारी दी जाय कि वे अपने अपने भवन पर 105 दीपों की श्रृंखला प्रज्वलित कर बिहार की गौरव को गौरवांचित कर सकते हैं। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सभी विद्यालयों में बिजली लगवाने एवं बिहार दिवस के अवसर पर ब्लू रंग का झालर लगाने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया। कला भवन, मधेपुरा में रोशनी करने का निदेश जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा को दिया गया।

(अनुपालन- जिला नजारत उप समाहर्ता / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / सभी अंचल अधिकारी)

(घ) सांस्कृतिक कार्यक्रम के अतिरिक्त गाँव के सभी व्यक्तियों की सभा "चौपाल"

का आयोजन किया जाय, जिसमें निम्नांकित बिन्दुओं पर परिचर्चा की जाएगी।

- (1) गाँव की समस्या एवं उसके समाधान के संबंध में सुझाव।
- (2) गाँव की कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, श्रमदान आदि क्षेत्रों से संबंधित ऐसी कोई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि जिसे अभी तक व्यापक प्रचार-प्रसार या सामाजिक प्रशासनिक मान्यता प्राप्त नहीं है। /
- (3) गाँव की ऐतिहासिक एवं पौराणिक धरोहर जिसका प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है।

(अनुपालन- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी

(ड.) बिहार दिवस के अवसर पर प्रखंड स्तर से जिला स्तर पर विकास मेला का आयोजन, कृषि मेला का आयोजन, मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन, खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, विद्यालयों में वाद-विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता, हस्तशिल्प प्रदर्शनी आदि लगाए जा सकते हैं।

आयोजन का उद्देश्य राज्य के लोगों को बिहार के गौरवपूर्ण अतीत, अपनी विविध संस्कृति, खेलकूद, ऐतिहासिक महत्त्व के स्थलों एवं बिहार की स्थिति से अवगत कराना है। इस आयोजन में हर बिहारवासी एवं प्रबुद्ध नागरिकों से सहयोग अपेक्षित है।

उक्त निर्णय के आलोक में सर्वसम्मति से जिलास्तर पर निम्नांकित कार्यक्रमों को सुचारु रूप से सम्पन्न कराने का निर्णय लिया गया-

### 03. प्रभात फेरी -

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 22 मार्च, 2017 को बिहार दिवस के अवसर पर जिलान्तर्गत सभी प्राथमिक /माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय के बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी किया जाय। बिहार के मानचित्र एवं लोगो, नारे आदि का बैनर, पोस्टर के साथ प्रभात फेरी प्रातः 06:00 बजे बी०एन०मंडल स्टेडियम के मुख्य द्वार से प्रारंभ करते हुए बस स्टैंड होते हुए बी०पी० मंडल चौक (कॉलेज चौक) तक जाएगी। पुनः बी०पी० मंडल चौक से मुख्य सड़क मार्ग से बाजार होते हुए पूर्णियाँ गोला तक जाएगी। पूर्णियाँ गोला के सामने जयपालपट्टी होते हुए बी०एन०मंडल स्टेडियम के मुख्य द्वार पर आकर समाप्त की जाएगी। प्रभात फेरी के आयोजन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को प्राधिकृत किया गया है। उन्हें कहा गया कि सरकारी विद्यालय के बच्चों के साथ-साथ निजी स्कूल के बच्चों को भी प्रभात फेरी में शामिल किया जाय। अत्यधिक छोटे-छोटे बच्चों को प्रभात फेरी में नहीं बुलाया जाय। प्रभात फेरी के समय यातायात नियंत्रण हेतु अंचलाधिकारी, मधेपुरा तथा



थानाध्यक्ष, मधेपुरा को आदेश दिया गया कि प्रभात फेरी के अवधि में स्वयं गश्ती करेंगे तथा भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगायेंगे। सिविल सर्जन, मधेपुरा को एक एम्बुलेंस वाहन गश्ती हेतु प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा प्रभात फेरी कार्यक्रम का स्वयं पर्यवेक्षण करेंगे।

प्रखंड स्तर पर भी प्रभात फेरी प्रातः 06:00 बजे प्रखंड कार्यालय परिसर से प्रखंड के प्रमुख स्थल तक निकाली जाएगी। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड स्तर पर प्रभात फेरी के आयोजन हेतु व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा इस संबंध में अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- उप विकास आयुक्त / अनुमंडल पदाधिकारी / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी / जिला कल्याण पदाधिकारी / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / अंचल अधिकारी, मधेपुरा / थानाध्यक्ष, मधेपुरा / सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी)

#### 04. कृषि -सह- विकास मेला -

राज्य सरकार के निर्णयानुसार जिला स्तर पर विकास मेला का आयोजन किया जाना है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बी०एन०मंडल स्टेडियम, मधेपुरा में दो दिवसीय विकास मेला का भव्य आयोजन दिनांक- 22/03/2017 को 10:00 बजे पूर्वाह्न से दिनांक- 23/03/2017 तक किया जाय। इस निमित्त कृषि विभाग, जीविका के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का स्टॉल, मनरेगा, सभी अपना- अपना स्टॉल लगाना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त उत्पाद एवं मद्य निषेध, स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास परियोजना, नारियल विकास बोर्ड, पी०एच०ई०डी०, कल्याण विभाग / उद्योग विभाग / जनसम्पर्क विभाग / शिक्षा विभाग / पशुपालन विभाग / आपदा प्रबंधन / बैंक आदि भी भाग ले

सकते हैं। इस मेला को भव्य एवं आकर्षक बनाने हेतु स्टेडियम के दक्षिणी छोर पर एक कतार में 10 फीट व 10 फीट आकार का स्टॉल लगाया जाएगा। प्रत्येक विभाग को आवश्यकतानुसार स्टॉल उपलब्ध कराया जाएगा। आवश्यकतानुसार स्टॉल की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उपर्युक्त विभाग सभी अपने अपने स्टॉल की संख्याँ जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा को बताएं। जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा स्टॉल बनवाना सुनिश्चित करेंगे तथा व्यय भार वहन सम्बंधित विभाग/कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

विकास मेला के वरीय प्रभारी उप विकास आयुक्त, मधेपुरा तथा प्रभारी पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा होंगे। सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा से सम्पर्क स्थापित कर बनाई गई स्टॉल आवंटन अपने



नाम करवा लेंगे एवं उक्त स्टॉल में अपने स्तर से कर्मी को प्रतिनियुक्त करेंगे। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा सबों के साथ समन्वय स्थापित कर पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे। स्टॉल का कार्य सभी विभाग अपने अपने स्तर से करेंगे। मेले के उद्घाटन की सारी व्यवस्था उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के पर्यवेक्षण में जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा द्वारा किया जाएगा।

(अनुपालन- उप विकास आयुक्त / जिला नजारत उप समाहर्ता / अधीक्षक, उत्पाद / जिला कृषि पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कल्याण पदाधिकारी / जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका / जिला प्रोग्राम पदाधिकारी / सचिव, नारियल विकास बोर्ड, सिंहेश्वर / कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी / जिला शिक्षा पदाधिकारी / जिला पशुपालन पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन / जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक)

#### 05. खेलकूद -

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक 22-03-2016 को विभाग द्वारा निर्धारित / प्रस्तावित सभी प्रकार के खेलकूद का आयोजन करेंगे। खेलकूद प्रतियोगिता महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों में आयोजित किया जायेगा।

#### महिला वर्ग के लिए चयनित खेल -

कबड्डी, बेडमिन्टन, टेबुल टेनिस, चेस, खो-खो, एथलेटिक्स एवं मार्शल आर्ट्स।

#### पुरुष वर्ग के लिए चयनित खेल -

रस्सी खींचना, फूटबॉल, वॉलीबॉल, मार्शल आर्ट्स एवं क्रिकेट।

जिला खेल पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि सभी खेलों का आयोजन बी० एन० मंडल स्टेडियम, मधेपुरा के मैदान में कराया जाय। जिन- जिन खेलों का आयोजन किए जायेंगे, उस खेलकूद संघ के अध्यक्ष / प्रतिनिधियों से अपेक्षित सहयोग लेंगे।

(अनुपालन- उपाधीक्षक, शारीरिक शिक्षा, मधेपुरा एवं जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा)

#### 06. कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग (सांस्कृतिक कार्य निदेशालय) बिहार, पटना के पत्रांक- 81 दिनांक- 14/09/2016 से बिहार दिवस हेतु प्राप्त गार्ड लाईन (छयाप्रति सलंगन) के आलोक में चाक्षुष कला तथा सेमिनार को विद्यालय के स्तर पर आयोजित करने का निदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया।

गीत, संगीत, लघु नाटक जो बिहार के विरासत पर आधारित हो, की प्रस्तुति कराये जाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ बिहार गीत/गान से होगा। यह भी तय हुआ कि उप विकास आयुक्त, मधेपुरा की अध्यक्षता में दिनांक- 19/03/2017 तक बैठक आयोजित किया जाय, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा /भाग लेनेवाले कलाकारों/सांस्कृतिक संस्थाओं का चयन एवं उनकी प्रस्तुति का क्रम तथा अवधि आदि विषयों के संबंध में शहर के सभी प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ विचार विमर्श कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का मिनट-दू-मिनट कार्यक्रम तैयार कर जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बी०एन०मंडल० स्टेडियम में उक्त कार्यक्रम दो दिन यथा- दिनांक- 22/03/2017 एवं दिनांक- 23/03/2017 को संध्या में 05:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक आयोजित किया जायेगा। जिसमें एक दिन संध्या में 05.00 से 07.00 बजे तक बच्चों का कार्यक्रम एवं 07.00 से 10.00 बजे रात्रि तक बड़ों का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इसमें स्थानीय कलाकार भाग लेंगे, जिसमें आयु सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी तथा एक दिन बाहर के ख्याति प्राप्त कलाकार का कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। शामिल किये जाने वाले कार्यक्रमों की गुणवत्ता के संबंध में उप विकास आयुक्त, मधेपुरा, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा एवं अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षोपरान्त प्रदर्शन के लिए दोनो दिनों के कलाकारों की सूची तैयार कर तथा बाहर के ख्याति प्राप्त कलाकार के मानदेय /आवासन /परिवहन एवं अन्य व्यय का जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्तुत किए जाने वाले दोनो दिनों के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों /प्रतिभागियों का चयन एवं रिहर्सल कराकर कलाकारों की सूची उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को हस्तगत कराने हेतु एक चयन समिति गठन करने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति के अध्यक्ष उप विकास आयुक्त, मधेपुरा एवं उनके निम्नांकित सदस्य होंगे -

1	डॉ० भूपेन्द्र 'मधेपुरी'
2	श्रीमती रीता कुमारी
3	श्री उपेन्द्र प्रसाद यादव,
4	डॉ० रवि रंजन,
5	श्री प्रदीप कुमार झा
6	डॉ० पृथ्वीराज यदुवंशी
7	श्री जयकृष्ण यादव
8	श्रीमती रेखा यादव
9	प्रिया राज

मंच की सजावट, ध्वनी विस्तारक यंत्र, रोशनी, बैटने की सम्पूर्ण व्यवस्था जिला नजारत, उप समाहर्ता, मधेपुरा द्वारा किया जायेगा। जिला सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा इसमें अपेक्षित सहयोग करेंगे।

कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों को ससमय घर पहुँचाने /देख-रेख का दायित्व संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दिये जाने का निर्णय लिया गया। जिला प्रशासन द्वारा गाड़ी उपलब्ध कराये जाने के अनुरोध को मानते हुए उक्त कार्य हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को दो वाहन अधिग्रहित कर जिला नजारत उप समाहर्ता,मधेपुरा को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

(अनुपालन-उप विकास आयुक्त / जिला परिवहन पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी / जिला नजारत उप समाहर्ता / जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी)

07.जागरुकता-

यह भी निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नांकित संस्थानों/कार्यालय यथा- कस्तूरबा बालिका विद्यालय/ अनुसूचित जाति/जन जति आवासीय विद्यालय, मुरलीगंज/ नेहरु युवा केन्द्र /सांसद आदर्श ग्राम के निवासियों से उनकी सहभागिता सुनिश्चित करायी जाय ताकि आम लोगों में जागरुकता लायी जा सके। इसके अतिरिक्त विषयों की जागरुकता हेतु कार्यक्रम किये जाय-

क्रमांक	विवरण	अनुपालनकर्ता/ विभाग
1	निर्वाचन मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना।	उप निर्वाचन पदाधिकारी,मधेपुरा।
2	पूलिस -100 नम्बर पर डायल कर किसी भी प्रकार की आपात सूचना देना।	पुलिस अधीक्षक,मधेपुरा।
3	शिक्षा- ड्रॉप आउट कार्यक्रम से अवगत कराना।	जिला शिक्षा पदाधिकारी,मधेपुरा।
4	पी.एच.ई.डी.- पेयजल एवं स्वच्छता अभियान की जानकारी देना।	कार्यपालक अभियंता,PHEd,मधेपुरा।
5	सामाजिक सुरक्षा कोषांग- छूटे हुए एवं योग्य व्यक्तियों को/विकलांगों को पेंशनदि का लाभ की जानकारी देना।	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग,मधेपुरा।
6	कृषि- कृषि यांत्रिक मेला की जानकारी एवं यंत्रों से अवगत कराना।	जिला कृषि पदाधिकारी,मधेपुरा।
7	आपदा प्रबंधन-भूकम्प /अग्निकांड/पानी में डूबने से बचाव आदि की जानकारी देना।	प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन शाखा,मधेपुरा।
8	मधेपुरा जिला का सी0एस0आर0 सबसे नीचे है, इस हेतु हस्ताक्षर अभियान चलाये जाने का निर्णय।	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी मधेपुरा।
9	भ्रूण हत्या पर सभी विद्यालय एवं कॉलेजों में उजला फलैक्स पर लोगों का हस्ताक्षर अभियान चलाये जाने का निर्णय।	सिविल सर्जन मधेपुरा।
10	यम्पारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के लोगों का प्रचार प्रसार हेतु फलैक्स बोर्ड का निर्माण।	जिला नजारत उप समाहर्ता मधेपुरा।

(अनुपालन- सम्बंधित विभाग)

**08. आमंत्रण कार्ड की छपाई-**

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों एवं गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करने हेतु आवश्यकतानुसार आमंत्रण कार्ड की छपाई एवं वितरण ससमय जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा द्वारा किया जाएगा।

(अनुपालन-जिला नजारत उप समाहर्ता )

**09.. पुरस्कार का वितरण -**

बिहार दिवस, 2017 के अवसर पर दिनांक- 22/03/2017 के संध्या में आयोजित होनेवाली सांस्कृतिक कार्यक्रम के उद्घाटनोपरांत वर्ष- 2017 में आयोजित (1) मानव श्रंखला में प्रथम तीन आनेवाले प्रखंडों (2) गणतंत्र दिवस, 2017 के पैरेड, झाँकी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करनेवाले प्रतिभागियों तथा जीविका, मधेपुरा के उत्कृष्ट कार्यक्रम की प्रस्तुति देनेवाले प्रथम तीन स्वयं सहायता समुह को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है। इसके चयन हेतु एक समिति का गठन किया जाता है जो निम्नप्रकार है-

क्रमांक	पदनाम	अभ्युक्ति।
1	उप विकास आयुक्त, मधेपुरा।	अध्यक्ष।
2	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा।	सदस्य।
3	अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज।	सदस्य।
4	जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा।	सदस्य सचिव।

यह समिति उपरोक्त सभी कार्यक्रमों के प्रथम तीन आनेवाले प्रतिभागियों का चयन एवं उन्हें दी जानेवाली प्रमाण- पत्र /प्रशस्ति पत्र की रूप रेखा तय कर जिलाधिकारी महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर मुद्रण व वितरण ससमय सुनिश्चित करायेगें।

(अनुपालन- जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा।)

**10. साफ-सफाई /रोशनी की व्यवस्था -**

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बिहार दिवस के अवसर पर शहरों की साफ-सफाई कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा किया जायेगा। उक्त अवसर पर दिनांक- 22/03/2017 को समाहरणालय परिसर में नीले रंग के प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। समाहरणालय के साथ-साथ सभी अनुमंडल, प्रखंड कार्यालयों में भी साज सजावट तथा नीले रंग की प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।

(अनुपालन- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा/ जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा/ सम्बंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी)



अंत में सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/-  
जिलाधिकारी  
मधेपुरा।

ज्ञापांक -<sup>345</sup> /स्था0 दिनांक-17 मार्च, 2017 ई0।

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला नजारत उप समाहर्ता, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /उपाधीक्षक शारीरिक शिक्षा, मधेपुरा /अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा एवं उदाकिशुनगंज /अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, PHED, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /सभी अंचल अधिकारी /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, मधेपुरा एवं नगर पंचायत, मुरलीगंज /वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /यानाध्यक्ष, मधेपुरा /जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /सचिव, नारियल विकास बोर्ड, सिंहेश्वर / महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- डॉ भूपेन्द्र 'मधेपुरी' /श्रीमति रीता कुमारी /श्री उपेन्द्र प्रसाद यादव /डॉ रविरंजन /श्री प्रदीपा कुमार झा /डॉ पृथ्वीराज यदुवंशी /श्री जयकृष्ण यादव /श्रीमति रेखा यादव /एवं प्रिया राज, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी सम्बंधित को ईमेल करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि -आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि -सरकार के उप सचिव, मंत्रिमंडल, सचिवालय विभाग, बिहार, पटना /प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास एवं पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

  
जिलाधिकारी  
मधेपुरा।

②